

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

विषय :- राजकीय सेवा के विभिन्न पदों पर कार्यरत विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों की सूचना भिजवाने बाबत।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना स0प0 11 (164)आरएण्डपी/एसजेईडी/09/46855 दिनांक 25.08.2009 से निम्न जातिया विशेष पिछडा वर्ग के रूप में अधिसूचना की गई है :-

S.No Special Backward Classes

1 Banjara, Baladia, Labana

2 Gadia-Lohar, Gadolia

3 Gujar, Gurjar

4 Raika, Rebari (Debasi)

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया आपके नियंत्रणाधीन समस्त विभागों के संबंध में उक्त विशेष पिछडा वर्ग के कार्यरत व्यक्तियों की संकलित सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना में वे ही पद सम्मिलित किये जाये जिन पर नियुक्ति करने हेतु आपका विभाग सक्षम है।

प्रपत्र

विभाग का नाम

क.स.	पदनाम	विशेष पिछडा वर्ग के नियुक्त व्यक्तियों की संख्या

ह0/-

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- ई-18/एम/(लूज)/10/1602 दिनांक : 11/10/10
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेश (जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./आइ.ई.सी./एड्स/परियोजना निदेशक एन.आर. एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी.)/समस्त अति० निदेशक मुख्यालय/समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय/ को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पत्र प्राप्ती के 3 दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करे।
- समस्त अधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय वर्ग/समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन को भेजकर लेख है कि आपके अधीन जिलो में कार्यरत संस्थानो में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पत्र प्राप्ती के 3 दिवस में निदेशालय को भिजवाने का श्रम करे।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का श्रम करे।

11.10.10
संयुक्त निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर